राजस्थान–सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (आई.ई.सी.) सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005 फोन नं. 0141–2222018, 2221463)

क्रमांक :– आई.ई.सी./लेखा/ संविदा/2016–17/933 दिनांक :– 10/10/2016

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान जयपुर।

विषय :– बिड आमन्त्रण सूचना प्रकाशित करने के बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के साथ संलग्न बिड आमन्त्रण सूचना को 50,000 से अधिक प्रतियों का परिचालन रखने वाले एक प्रमुख राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक अखिल भारतीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र, भारतीय ट्रेड जनरल में दिनांक .... तक आवश्यक रुप से प्रकाशित करवानें का श्रम करावे तथा इसे आपके विभाग की वेबसाईट पर भी प्रसारित कराने की व्यवस्था करावें।

संलग्न :– बिड आमन्त्रण सूचना पत्र तीन प्रतियों में

भवदीय,

निदेशक (आई.ई.सी.)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– आई.ई.सी./लेखा/ संविदा/2016–17/933 दिनांक :–10/10/2016

प्रतिलिपि :–

1. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि निविदा सूचना को विभागीय वेबसाईट व SPPP पोर्टल पर आज ही जारी करावें।
2. अतिरिक्त निदेशक, आई.ई.सी.।
3. स्टोर प्रभारी, कार्यालय हाजा।
4. कैशियर कार्यालय हाजा।
5. केयर टेकर को भेजकर लेख है कि इसे निदेशालय/कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करावें।

निदेशक (आई.ई.सी.)
राजस्थान जयपुर

Directorate Medical, Health & Family Welfare(I.E.C.) Services, Rajasthan, Swasthya Bhawan, C-Scheme, Jaipur

(Telephone No.: 0141-2222817, 2221463, E-Mail address: directoriec-rj@nic.in)

NOTICE INVITING e-BIDS

NIB No.04/2016-17

1. Two-envelopes unconditional **electornic** Bids are invited on behalf of the Governor of Rajasthan for the procurement of Goods as listed below, from manufacturers/ distributors/ authorized dealers/ bona-fide dealers up to 01.00 PM of date ...9.11.2016. **Technical Bid shall be open on date ....9.11.2016 at ...3.P.M in presence of Bidders/Representatives.**

S.No.	Name of Article	Quantity and unit in Rs.	Amount of Bid Security Rs.	Bid Document Fees Rs.	Processing Fees Rs.	Place of Delivery and Delivery Period
1.	Vinayal, Sunboard and Sticker Printing & Supply Work	250 Lac	5.00 Lac	1000/-	1000/-	Mini Swasthya Bhawan, Sethi Colony, Jaipur

2. **The Bid is for a Annual Contract.**
3. **Bidding Document can be seen and downloaded from the website of State Public Procurement Portal, "sppp.raj.nic.in" and "eproc.rajasthan.gov.in" DIPR-site (for Visual of Documents only)**

Director (I.E.C.),
Directorate Medical, Health & F.W.(I.E.C.)
Rajasthan, Jaipur

राजस्थान–सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (आई.ई.सी.) सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005 फोन नं. 0141–2222018, 2221463)

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड

(NIB No.4/2016-17)

संविदा फार्म अपलोड करने की अंतिम तिथि – ......3.11....... 2016 दोपहर 1.00 बजे तक

कार्य की अनुमानित लागत रूपये 250..00 लाख

बोली प्रतिभूति राशि रूपये 5.00 लाख

प्रोसेसिंग फीस – 1000 रूपये (डी.डी. संलग्न करे जो **M.D., RISL, JAIPUR** के नाम से देय हो तथा इसकी फोटो प्रति बिड में अपलोड करावें।)

संविदा प्रपत्र शुल्क – 1000 रूपये (डी.डी. संलग्न करे जो **Director, I.E.C., JAIPUR** के नाम से देय हो तथा इसकी फोटो प्रति बिड में अपलोड करावे।)

प्रीबिड मीटिंग कार्यालय में दिनांक ....20.10.........2016 को प्रातः 11.30 बजे होगी ।

विनायल, सनबोर्ड आदि पर मुद्रण एवं आपूर्ति कार्य के लिए संविदा

To,

Director (I.E.C.),
Directorate Medical, Health & F.W.(I.E.C.) Rajasthan, Jaipur
Swasthya Bhawan, C-Scheme, Jaipur -302005

We, the undersigned, declare that:

1. We have examined the Bidding Document
2. **If our Bid is accepted, we commit to submit Performance Security as per Rules.**
3. We are not participating, as Bidders, in more than one Bid in this bidding process.
4. **Our firm, its affiliates or subsidiaries, including any subcontractors or suppliers has not been debared by the State Government or the Procuring Entity as per provision of RTPP Act & Rules.**
5. We understand that this Bid, together with your written acceptance shall constitute a binding contract between us, until a formal Contract is prepared and executed;
6. We understand that you are not bound to accept the lowest evaluated bid or any other bid that you may receive;
7. We agree to permit the Procuring Entity or its representative to inspect our accounts and records and other documents relating to the bid submission and to have them audited by auditors appointed by the Procuring Entity;
8. We declare that we have complied with and shall continue to comply with the provisions of the Code of Integrity for Bidders as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 and this Bidding Document in this procurement process and in execution of the Contract;

9. हम निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर द्वारा जारी की गयी संविदा सूचना संख्या 4/2016-17 में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त संविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

10.	इस तकनीकी बिड के साथ निम्नांकित प्रपत्रों की छाया प्रति अपलोड करवा दी गई है :–		
Sr. No.	**Particulars**	Yes /No	Annexture no.
	i. निविदा की शर्तो पर सहमति प्रदान कराते हुए उसकी हस्ताक्षरित प्रति अपलोड़ कराना सुनिश्चित करें। ii. बिड प्रपत्र मय बिडदाता/बिडदाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व मोहर iii. बोली प्रतिभूति राशि, संविदा प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के तीन पृथक–पृथक बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति :– • बोली प्रतिभूति राशि निदेशक, आई.ई.सी. के पक्ष में जयपुर में देय डी.डी./बैंकर चैक/बैंक गारन्टी – राशि रू. 5.00 लाख मात्र • संविदा प्रपत्र शुल्क निदेशक, आई.ई.सी. के पक्ष में जयपुर में देय डी.डी./बैंकर चैक –- राशि रू. 1000/– मात्र • प्रोसेसिंग फीस M.D., RISL, JAIPUR के पक्ष में देय डी.डी./बैंकर चैक – राशि रू. 1000/– मात्र iv. दिनांक 31.3.2016 तक का अध्यतन बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड की स्व प्रमाणित प्रति अपलोड कर दी गई है। v. बिडदाता फर्म के पास फलेक्स शीट आदि मुद्रित करने के लिए वांछित मशीनरी आधुनिकतम तकनीकि व भारतीय मानदण्डों के अनुरूप होना अनिवार्य है। मशीनरी से संबंधित क्षमता के विवरण पत्र में मशीनों के क्रय से संबंधित बिल/दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ प्रपत्र के साथ अपलोड करना आवश्यक है। वेबसाईट पर अपलोड किये गये बिलों/प्रपत्र के अतिरिक्त ऑफ लाईन प्रस्तुत बिल/प्रपत्र स्वीकार नही किये जावेंगे। इसके अभाव में निविदा अपूर्ण मानते हुए निरस्त समझी जावेंगी। vi. फर्म को इसी प्रकार के कार्य करने का गत तीनों वर्षो (2013–14 से 2015–16 तक) का अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश अपलोड किया गया है। vii. फर्म के उक्त आशय के कार्यो की तीन वर्ष (2012–13 से 2014–15 तक) के टर्नओवर की औसत राशि कार्य की अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो। फर्म के उक्त वर्षो के लेखो के आधार पर फर्म के द्वारा गत तीन वर्षो के टर्नओवर का उल्लेख कराते हुए सनदी लेखाकार से प्रमाणित प्रमाण–पत्र अलग से भी प्रस्तुत कराना होगा। (सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षित अन्तिम लेखों की सत्यापित प्रति अपलोड की गई है) viii. मानव शक्ति के संबंध में आवश्यक जानकारी का विवरण अपलोड किया गया है। ix. यदि फर्म लघु उद्योग इकाई है तो सक्षम विभाग/अधिकारी द्वारा जारी लघु उद्योग इकाई के पंजीयन की स्वप्रमाणित फोटोस्टेट प्रति अपलोड की जा चुकी है। जिसमें बिड में उल्लेखित कार्य करने हेतु फर्म एस.एस.आई. यूनिट पंजिकृत होने का इन्द्राज है।		

	x. फर्म के लेटर हैड पर विनिर्माता/डीलर आदि होने का घोषणा पत्र अपलोड कर दिया गया है। xi. निविदा में सफल रहने वाली फर्म को अनुबन्ध के समय विभागीय आवश्यकता के अनुरूप कार्य की समय पर आपूर्ति हेतु जयपुर में एक सम्पर्क कार्यालय स्थापित करते हुए अपने प्रतिनिधी को वहाँ नियुक्त करना होगा, जिसका जयपुर स्थित कार्यालय का पता तथा दूरभाष नं.लैटरहैड पर देना होगा। xii. आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्धारित बिडर द्वारा की जाने वाली घोषणाएँ एवं Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest की घोषणाएं अपलोड कर दी गई है तथा Annx.A, B, D & E हस्ताक्षरित कर दिया गया है। xiii. संविदादाता यदि फर्म/कम्पनी है तो अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो इस संविदा के लिये विशेष रूप से फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत किया गया है, के प्राधिकार पत्र की प्रति जिस पर प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम, पता तथा फर्म/कम्पनी में उसकी स्थिति (Status) एवं उसके हस्ताक्षर प्रमाणित हो (अपलोड किया जावें)। विभाग अन्य किसी से इस संबंध में सम्पर्क नहीं करेगा।		

संविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(नाम, पता, फोन नं. सहित)

राजस्थान–सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (आई.ई.सी.) सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005 फोन नं. 0141–2222018, 2221463)

विनायल, सनबोर्ड आदि पर मुद्रण एवं आपूर्ति कार्य के लिए संविदा की शर्ते

1. संविदा सूचना में प्रकाशित सभी शर्ते इस संविदा का भाग मानी जावेगी।
2. संविदादाता फर्म राजस्थान सरकार की वेबसाईट **"eproc.rajasthan.gov.in."** पर उपलब्ध संविदा सूचना में संलग्न निर्धारित **प्रपत्र 'ब'**(BOQ) में ही अपनी दर्शाऐं। विभागीय प्रोफार्मा के अतिरिक्त दी गई मान्य नहीं होंगी।
3. संविदा दो लिफाफों (फोल्डर) में अपलोड की जावेगी, जिसमें से एक लिफाफा (फोल्डर) का नाम **"तकनीकी बिड"** होगा, इसमें संविदा फार्म – **प्रपत्र 'अ'** तथा इसमें/शर्तो में उल्लेखित फर्म से संबंधित वांछित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र तथा बोली प्रतिभूति राशि, संविदा प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के डी.डी./बैंकर चैक/**बैंक गारन्टी** की छाया प्रति आदि हो तथा दूसरा लिफाफा (फोल्डर), जिसका नाम **"वित्तीय बिड"** होगा, उसमें वित्तीय बिड शीट (BOQ) अपलोड होनी चाहिए। प्रत्येक फोल्डर पर " विनायल, सनबोर्ड आदि पर मुद्रण एवं आपूर्ति कार्य के लिए संविदा " **NIB No.** एवं फर्म का नाम व पता अंकित किये जावें।
4. तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मो की वित्तीय बिड नहीं खोली जावेगी। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मो द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर विभागीय तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी संविदा को रद्द कर दिया जावेगा। जिसके लिए फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी।
5. बोली प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत ली जायेगी, लेकिन राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए अनुमानित लागत के मूल्य की 0.5 प्रतिशत होगी। अतः यदि फर्म लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी संविदा के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उद्योग विभाग/जीएफएण्डआर में दिये गये निर्धारित प्रोफार्मा में 50/– रू. के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र देना होगा। बोली प्रतिभूति राशि की कालावधि मूल या बढ़ायी गई विधि मान्य कालावधि से 30 दिन आगे तक वैध रहनी चाहिए।
6. संविदादाता उपरोक्त क्लोज 10(ii) में वर्णित तीनों मूल (Original) डी.डी./बैंकर चैक/बैंक गारन्टी एवं सामग्री के सैम्पल दिनांक 3.11.2016 को दोपहर 12.00 बजे तक हस्ताक्षरित/फर्म की सील लगे बन्द लिफाफे में निविदाकर्ता विभाग के कार्यालय में व्यक्तिशः जमा करायेंगे। इसके पश्चात् प्राप्त मूल (Original) डी.डी./बैंकर चैक एवं सैम्पल प्रस्तुत करने वाली फर्म की संविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. फर्म को विनायल, सनबोर्ड आदि पर मुद्रण एवं आपूर्ति कार्य के अंतिम प्रूफ अनुमोदन की दिनांक से निर्धारित दिवस में पूर्ण करनी होगी। विभाग द्वारा इस प्रकृति के कार्य हेतु विषय वस्तु फर्म को उपलब्ध करवायी जावेगी, जिसकी फर्म द्वारा डिजाईन तैयार कर उसका अनुमोदन निदेशक/सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर से करवाया जाना होगा तथा अंतिम प्रूफ अनुमोदन के पश्चात ही आपूर्ति प्रारम्भ की जावेगी। प्रूफ/डमी को विभाग द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त भी यदि अंतिम मुद्रण में त्रुटियां रह जाती है तो ऐसी स्थिति में त्रुटियों का सुधारकर फर्म को स्वयं के खर्चे पर पुनः मुद्रित कर सामग्री विभाग को उपलब्ध करवानी होगी।

8. कार्य सम्पादन की अवधि डमी अनुमोदन तिथी से न्यूनतम एक दिवस एवं अधिकतम पैतालिस दिवस तक रहेगी।

9. कार्य सम्पादन में विलम्ब होने पर आरटीपीपी एक्ट व नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति की राशि फर्म को देय राशि में से काटी जावेगी। सारभूत त्रुटि होने की दशा में विभाग को कार्य अस्वीकार करने एवं अनुमोदित फर्म की रिस्क व कॉस्ट पर अन्यत्र से कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. यदि परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी/सप्लाई की अवधि में वृद्धि की गई हो तो सप्लाई में किये गये सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जावेगी :–

(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5 प्रतिशत
(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए	5.0 प्रतिशत
(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु **तीन** चौथाई अवधि से अनधिक के लिए	7.5 प्रतिशत
(घ)	विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए	10.0 प्रतिशत

टिप्पणी :–

(i) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम समय को छोड दिया जायेगा।

(ii) स्वीकार की गई परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(iii) यदि सप्लायर किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा। जिसने वह सप्लाई का आदेश दिया था किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने के तत्काल उसी समय दिया जायेगा न की सप्लाई को पूर्ण की निर्धारित तारीख के बाद दिया जावेगा।

(iv) यदि माल की सप्लाई में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो बिडदाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति के साथ या उसके बिना कर दी जायेगी।

11. राजस्थान राज्य की पंजीकृत फर्मो को राज्य सरकार की नीति के अनुसार मूल्य अधिमानता का लाभ दिया जावेंगा।

12. नियमानुसार फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जावेगा।

13. संविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रत्येक कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, विभाग में स्वीकार करने एवं सामग्री का नियमानुसार प्रयोगशाला परीक्षण करवाने के बाद भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

14. कच्चा माल यथा विद्युत, पानी, स्याही, डीजल, पेट्रोल, आदि की दरों में वृद्धि होने पर फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

15. फर्म को आदेशित सामग्री का निर्माण **नवीनतम तकनीकि धारक मशीन जो कि राष्ट्रीय मानकों के आधार पर अनुमोदित हो** पर, विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार विनायल, सनबोर्ड आदि पर मुद्रण एवं आपूर्ति_करना होगा। **सामग्री की गुणवत्ता में कमी पर भी राजकीय हित में यदि माल को स्वीकार किया जाता है तो विभागीय क्रय समिति को अधिकार होगा कि वह फर्म की सहमति से माल को स्वीकार करते हुए नियमानुसार बिल में से कम से कम 25 प्रतिशत राशि काटी**

जावेगी। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के गुणवत्ता या इम्प्रेशन में सारभूत कमी/त्रुटि की अवस्था में आपूर्ति अस्वीकार करने एवं शास्ति आरोपित करने का विभाग को पूर्ण अधिकारी होगा।

16. बिना **"बोली प्रतिभूति राशि"** के एवं अपूर्ण भरी हुई संविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं फर्म द्वारा प्रस्तुत संविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
17. सफल संविदादाता को कार्य की अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत "कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि" (लघु उद्योग इकाईयों के मामले में **2 प्रतिशत**) जमा करानी होगी तथा विभाग के साथ कार्य सम्पादन के संबंध में लिखित अनुबन्ध भी करना होगा।
18. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अधीन इस विभाग में प्रथम अपील प्राधिकारी **"विशिष्ट शासन सचिव (प.क.) एवं मिशन निदेशक (एन.एच.एम.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर"** तथा **द्वितीय अपील प्राधिकारी "प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर"** होगें।
19. किसी भी संविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर को होगा।
20. सप्लाई की गई सामग्री का परीक्षण सरकारी/एम.एस.एम.ई. टेस्टिंग लैब से करवाया जावेंगा। परीक्षण में निर्धारित गुणवत्ता पाये जाने पर ही भुगतान किया जावेंगा। परीक्षण रिपोर्ट में कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिल राशि का कम से कम 25 प्रतिशत कटौती का निर्धारण विभाग द्वारा कार्य की कमी/गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा। बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करना होगा, जिस पर बिल संख्या, बिक्रीकर पंजियन संख्या, पैन नम्बर अंकित होना आवश्यक है।
21. सफल संविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कार्य सम्पादन करने में असफल रहने पर अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर विभाग को अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य करवाने का अधिकार होगा। साथ ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ली जावेगी।
22. संविदा फार्म के साथ संलग्न **प्रपत्र 'ब'**(BOQ) में वर्णित कार्य संबंधी समस्त कर शुल्क सामग्री, श्रम व्यय आदि सहित अंकित होगी। इसके अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा।
23. फर्म की कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी। सशर्त बिड निरस्त समझी जावेगी।
24. "विनायल, सनबोर्ड आदि पर मुद्रण एवं आपूर्ति कार्य" हेतु **प्रपत्र 'ब'** (BOQ) में दी गई अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य है, जिसे आपसी सहमती से **आरटीपीपी एक्ट एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार** बढ़ाया जा सकता है, तथा कार्य के विभिन्न आकारों एवं चरणों में विभाग की आवश्यकतानुसार कार्य करवाया जावेगा।
25. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के अन्तर्गत इस बिड प्रपत्र के साथ संलग्न अनुबन्ध प्रारूप में अंकित के अनुसार लिक्विडेटेड डेमेज की राशि वसूल की जावेगी। इस सम्बन्ध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
26. इस संविदा द्वारा अनुमोदित दरें, **कीमतें गिरने के खण्ड के अध्याधीन** होंगी। संविदाधारक फर्म द्वारा संविदा अवधि में राज्य में किसी अन्य संविदा में इस संविदा में अनुमोदित दरों से कम दरें प्रस्तुत की जाती है, तो उसकी सूचना अविलम्ब इस विभाग को देनी होगी।
27. मुद्रक को मुद्रित सामग्री कार्यादेश में उल्लेखित विधि से बण्डलों में पैक कर विभाग के स्टोर में पहुँचानी होगी। मुद्रक को इसके लिए कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
28. फर्म को आदेशित सामग्री का निर्माण आदेशित फलेक्स, विनायल, सनबोर्ड आदि पर विभाग द्वारा निर्धारित विभिन्न जी.एस.एम./ओन्स/माइक्रोन/मिमी एवं साईज में ही करना होगा। विभाग अपनी आवश्यकतानुसार फलेक्स आदि के जी.एस.एम./ओन्स/माइक्रोन/मिमी में कमी या वृद्धि करने के लिए स्वयं सक्षम है। जिसके लिए आनुपातिक राशि देय होगी, साथ ही कार्य की मात्रा

कम या ज्यादा होने पर आनुपातिक राशि देय होगी। मूल दरें BOQ (B) में अंकित है, जो आधार के रूप में काम मे ली जावेंगी। जी.एस.एम./ओन्स/माइक्रोन/मिमी में कमी पर नियमानुसार बिल में से उपरोक्तानुसार कटौती की जावेंगी। मुद्रित सामग्री के जी.एस.एम./ओन्स/माइक्रोन/मिमी या इम्प्रेशन में सारभूत कमी/त्रुटि की अवस्था में आपूर्ति अस्वीकार करने एवं शास्ति आरोपित करने का विभाग को पूर्ण अधिकारी होगा।

29. **(संविदा की शर्तो के बिन्दु सं. 30 के अनुसार)** किसी राजकीय विभाग, उपक्रम अथवा राजकीय कम्पनी द्वारा **Debar अथवा अयोग्य (Defaulter)** फर्म बिड प्रस्तुत करने में अपात्र मानी जायगी, यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी बिड प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए **आरटीपीपी एक्ट एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार फर्म के विरूद्ध कार्यवाही की जावेंगी।**
30. सफल संविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिये गये आदेशों को रद्द करते हुए संविदादाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ले।
31. **निविदादाता फर्म को गत तीन वित्तीय वर्षो (2013–14, 2014–15 तथा 2015–16) से लेकर बोली की दिनांक तक किसी विभाग/बोर्ड/निगम/प्राधिकरण अथवा सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय/सरकार से सम्बन्धित अन्य कार्यालय से Debar अथवा अयोग्य (Defaulter) नहीं होना चाहिए। फर्म द्वारा 50 रू. के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर स्वप्रमाणित शपथ–पत्र इस हेतु Anexx.- E में प्रस्तुत किया जावेंगा।**
32. **निविदादाता फर्म को विगत तीन वर्षो में मिथ्या कथन/दण्डित अपराध न्यायालय द्वारा फर्म/निदेशक/अधिकारी के प्रति कोई आपराधिक कार्यवाही ना होने का प्रमाण–पत्र Anexx.-B में प्रस्तुत करना होगा।**
33. निविदादाता फर्म प्रस्तुत वित्तीय बोली खुलने के पश्चात् तथा विभाग द्वारा कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् प्रस्तुत की गई ें को वापस लेता है या कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जावेंगा तथा डीबार करने की कार्यवाही भी की जावेंगी।
34. **तकनीकी एवं वित्तीय संविदा में उल्लेखित निविदा शर्तो व निविदा नोटिस को भी इस निविदा का भाग माना जावेंगा।**
35. **बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण स्टोर शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध विभागीय मेल आई डी directoriec-rj@nic.in पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।**
36. किसी भी उत्पन्न विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।
37. संविदा की अन्य शर्ते आर.टी.पी.पी. एक्ट/नियम के अनुसार लागू होंगी।
38. **इस संविदा में भाग लेने से पूर्व समस्त निविदादाता स्वयं को राज्य में लागू आर.टी.पी.पी. एक्ट व नियमों के प्रावधानों से अवगत कर लेवें।**
39. समस्त संविदा प्रपत्र दिनांक 9.11.2016 को दोपहर 1.00 बजे तक वेबसाईट पर अपलोड किये जा सकते है। तकनीकी बिड दिनांक 9.11.2016 को सायं 03.00 बजे खोली जायेगी।

अतिरिक्त मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
निदेशक (आई.ई.सी.) एवं
संयुक्त शासन सचिव

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तो को सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपरोक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

बिडदाता द्वारा घोषणा का प्रारूप

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए बिड दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण रूप से समपहृत कर किया जा सकेगा तथा प्रस्तुत बिड को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान–सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (आई.ई.सी.) सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005 फोन नं. 0141–2222018, 2221463)

(NIB No. 04/2016-17)

संविदा फार्म अपलोड करने की अंतिम तिथि – ...9.11... 2016 प्रातः 01.00 बजे तक

विनायल, सनबोर्ड आदि पर मुद्रण एवं आपूर्ति कार्य के लिए संविदा प्रपत्र – "ब" (BOQ)

बिडदाता का नाम एवं पता :– ....

S.No.	Item Discription	Units	Rate Including all Expenses, taxes and Duties etc. (Rs.)
1.	**Sunboard with Vinyal Pesting**		
	Sunboard Sheet of 2.8 mm. 1. Vinyal Sheet- 80 Micron "A" grade Vinyal sheet 2. Printing – One Side Multi Colour design and printing on Vinyal Sheet. 3. Pasting of Vinyal Sticker Sheet on Sunboard. 4. Four hole pass for hanging purpose	Sq. Ft.	
2.	**Direct UV Printing on Sunboard**		
	UV Multi Colour Printing on 2.8 mm Sunboard Sheet. (including all charges)	Sq. Ft.	
3.	**Vinyal Sticker Sheet**		
	Vinyal Sticker Sheet (PVC) A) Vinyal Sheet - 120 MICRON " A" grade Vinyal Sheet B) **Printing**- One Side Multi Colour design and ECO Solvent Printing with sticking material	Sq. Ft.	

Note :-

1. **Above Rates are inclusive F.O.R.I.E.C Store Jaipur**
2. **Bidder Shall Quote Rates for all above items partly submission of rates for part items are not acceptable & liable to be rejected.**

बिडदाता के हस्ताक्षर

फर्म की मोहर

अधिकृत प्रतिनिधि का मोबाईल/टेलीफोन नं.

Annexure - A
Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:
Place :

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure-B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

(On Non Judicial Stamp Paper worth Rs. 50/-)

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submittedto ...... for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No .... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Place :

Date:

Signature of Authorized Signatory

Name and Signature of Bidder

Designation with seal

Witness by

Signature :-

Name :-

Address :-

Mobile No :-

Annexure-C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Mission Director, NHM, Swasthya Bhawan, Jaipur.**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Principal Secretary, Medical and Health Deptt., Secretriate, Jaipur.**

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be tiled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (I) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure - D

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical erros**
Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis;
(i) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be correted, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement ot the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected ;
(ii) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
(iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in fingures shall prevail subject to (i) and (ii) above.
If the Bidder that submitted the lowest evaluated bid does not appept the correction of error, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary quantities.**
(i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding documents may be increased or decreased, by a specified percentage, but such increase of decrease shall not exceed **50% or As per Provision of RTPP Act & Rules**, of the unit prices or other terms and conditions of the bid and the conditions of contract.
(ii) If the procuring entity does not procure and subject matter of procument or procures less than the quantity specified in the biding document due to change circumstances, the bidder shall not be entitled to any claim or compensation except otherwise provide in the conditions of contrac.
(iii) In case of procument of goods or services, additional may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than **50% or As per Provision of RTPP Act & Rules** of the value of goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. It the supplier fails to do so, the procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.
3. **Dividing quantities among more than one bidder at the time of award (In case of procurement of Goods) :-**
As a general rules all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to delicer the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .... of .... Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1- Particulars of appellant;
   (i) Name of the Appellant;
   (ii) Official address, if any;
   (iii) Residential address;

2- Name and address of the respondent(s);
   (i)
   (ii)
   (iii)
3- Number and date of the order appealed against and name and designation of the office/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved;
4- If the Appellant propose to be represented by a representative the name and postal address of the representative;
5- Number of affidavits and documents enclosed with the appeal;
6- Grounds of appeal: ....

(Supported by an affidavit)

7- Prayer: ....

Place: ....

Date: ....

Appellant's Signature

Annexure : E

Declarations and Undertakings

(On Non Judicial Stamp Paper worth Rs. 50/-)

1. We .... (Name of firm) do hereby undertake that we have installed manufacturing /producing capacity/selling/distribution capacity of Said items in the bid as detailed in Document.
2. We do hereby undertake that our company/firm has not been Debar/Defaulter by any Govt. (Government of India/State Govt. & undertakings etc.) & their subordinate Departments for participation/submission of bids (as per RTPP Act section 11(2)(c)). We do hereby undertake that our company/firm has been Debar/Defaulter by .... (Name of Govt./Dept.) & required information as below :-
   - (i) Cause of Debarring/Defaulter.
   - (ii) For which item ....
   - (iii) Period of Debarring/Defaulter.
   - (iv) Latest Status of Debarring/Defaulter.
3. If this declaration is found to be incorrect, then without prejudice to any other action that may be taken against us, the bid if and to the extent accepted may be cancelled and the amount of Bid Security/Security Money may be forfeited (as per RTPP Act section 11(3)).

Place : Signature of Authorized Signatory

Date: Name and Signature of Bidder

Designation with seal

Witness by

Signature :-

Name :-

Address :-

Mobile No :-